उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-51/2019/508/92-2-19-904(66)/83

लखनऊ:: दिनांक 27 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के अधीन कार्यरत तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किये जाने वाले सामान्य प्राविधिक परीक्षण के संबंध में शासनादेश सं0-17/92-2013-904(66)/83 दिनांक 04-01-2013 द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :-

1- प्रत्येक प्रखण्ड का सामान्य प्राविधिक परीक्षण वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा प्राविधिक परीक्षक द्वारा न्यनूतम पॉच कार्यो का निरीक्षण किया जायेगा।

2- निरीक्षण के लिये कार्यो का चयन करते समय संबंधित जनपद के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यो यथा बडे भवन, पुल आदि को सम्मिलित किया जाय तथा दूरस्थ विकास खण्डों के कार्यो सहित अधिकांश विकास खण्डों के कार्यो को सम्मिलित किया जाय।

3- निरीक्षण हेतु कार्यो को रैण्डम बेसिस पर चयनित करने की प्रणाली अपनायी जाये तथा उपलब्ध साफटवेयर का उपयोग किया जाये।

4- निरीक्षण के समय कार्यो की डिजिटल फोटोग्राफी अवश्य करायी जाय।

शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त विभागों के प्रखण्डीय अधिकारियों के वांछित सहयोग न करने के कारण शासन द्वारा निर्गत उक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन नही हो पा रहा है। प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक खण्ड का वर्ष में एक बार सामान्य प्राविधिक परीक्षण किया जाता है, जिसके लिये प्राविधिक परीक्षकों द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर संबंधित प्रखण्डीय/जनपदीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है, किन्तु कतिपय प्रखण्डीय अधिकारियों द्वारा अन्य शासकीय कार्यो में व्यस्तता व कतिपय अन्य कारणों का उल्लेख करते हुये सामान्य प्राविधिक परीक्षण की तिथियों में बार-बार परिवर्तन का अनुरोध किये जाने के कारण समस्त प्रखण्डों/जनपदों का सामान्य प्राविधिक परीक्षण वर्ष में पूर्ण नही हो पाता है, जो कि कार्यहित/जनहित में उचित नही है।

अत: अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ स्तर से निर्धारित सामान्य प्राविधिक परीक्षण के कार्यक्रम की तिथियों में यथासंभव परिवर्तन का अनुरोध न किया जाय, यदि विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन कराया जाना आवश्यक हो तो कारण विशेष का उल्लेख करते हुये संबंधित अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता अथवा विभागाध्यक्ष के माध्यम से मुख्य प्राविधिक परीक्षक को सूचित किया जाय, तत्पश्चात ही निर्धारित तिथियों में परिवर्तन संभव होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-51/2019/508(1)/92-2-19-904(66)83 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियंता, लघु सिचांई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 ।

7- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियंताओं को उपर्युक्त निर्देशों के परिपालन हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

8- समस्त अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 को द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

9- गार्ड फाइल/आदेश पंजिका हेतु।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।